मजाक हो चुका है और गुस्सा या जिस तरह से यहां पर हो रहा है मुझे डर है कि कहीं हमारे देश की जनता हमारे चाल चलन और हमारे... (व्यवधान) अपना विश्वास न खो दे। विरोध पक्ष पागल हो चुका है। उन्होंने सारी पालियामेंटरी मान्यताएं और परम्पराएं तोड़ कर रख दी हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप किसी को आंख दिखाने से या किसी के हुक्म पर नहीं लेकिन कृपया पालियामेंटरी इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए अपनी ड्यूटी का निर्वाह करें। (व्यवधान)

श्री लाडली मोहन निगम (मध्य प्रदेश) : आप कृपया समय बढ़ा दीजिए। यह अन्याय गैर सरकारी प्रस्ताव के साथ नही होना चाहिए। 10 बजे तक बैठते हैं तो सवेरे चार बजे तक बैठेंगे... (व्यवधान) अगर आधा घंटा व्यवस्था में लग गया तो तीन से जो ढाई घंटे का समय है वह चलाइये... (व्यवधान) अन्याय नहीं होना चाहिए (व्यवधान) जो प्राइवेट मेम्बर्स बिल है उसको पूरा समय दीजिए।

RESOLUTION RE. LEGISLATION TO MAKE LEGAL AID ORGANISATIONS FOR THE NEEDY AND POOR STATUTORY—Contd.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We take up the Resolution. It will continue for two and a half hours.

SHRIMATI RODA MISTRY (Andhra Pradesh): Before going on to the contents of the Resolution it is thought necessary that the functions of the Legal Aid and Advice Boards be highlighted, which I have already done, so that the Members would understand the reason behind bringing forward this Resolution, seeking autonomy for Aid and Advice Boards. The Boards function on government money and it is highly essential that the working of these Boards be above any such remarks that may take shape and come up in the future.

Sir, a regrettable fact noted is that in our long established democracy for the often and loudly proclaimed governmental ideals for the protection of the rights of the poor and the needy, the deprived and the non-literate sectors of our society, it is the State and the Central Governments themselves, most of the time, who seem to present unnecessary stumbling block, constraitus, forced handicaps and the like, thus sacrificing progress for the ritual of rules. We fully realise that such constraint placed on their working, has also to do with unawareness on the part of officialdom of the practical day-to-day difficulties faced by Legal Aid Boards in the fields of their work. Thus it has been thought necessary to present in proper detail, arguments to this effect, for the attention of the House today. The main Central Committee itself, aside from its State branches, has been functioning as a limb of the Central Government under the Department of Legal Affairs. It has no financial and administrative autonomy and a meagre staff, whose dedication is the only reason for achievements so far.

The decisions taken by the Committee are subject to further scrutiny by both the Finance and the Law Ministry. The delay and red tapism involved in the completion of formalities, urgent or otherwise, retards proper and effective pace of legal aid programmes.

Sir, some details of the Central and State financial assistance... *(Interruptions)*

जनाब, इस हाउस में मैं बोल रही हूं जरा आप सब्र करें, तो अच्छा होगा।

Some details of the Central and State... *(Interruptions)*

अब तो सुनिये रामेश्वर सिंह जी, कभी हमारी भी बात सुनिये।

Some details of the Central and State financial assistance are placed before the House. The grants, on both Central and State levels, are rather inadequate and irregular. On the 21st of March, 1983, answer to Starred Question No. 307 in the Rajya Sabha disclosed that the quantum of grants given to the various States for legal aid schemes during 1981-82 and 1982-83 (upto December 31, 1982) were Rs. 2.98 lakhs and Rs. 70,000 respectively, broken

[Shrimati Rode Mistry]

down between a few States, such as Andhra Pradesh, Gujarat, Orissa and U.P. If the statistics given there are to be taken as correct, then the questions asked here are—why only these four States received help? Did other States seek aid and did not receive the same due to the same red-tapism and bogging down of Government machinery? Have all the grants given been utilised by the State Governments concerned? Sir, we are told that upto the date of the answer given in Rajya Sabha, no audited accounts had been received even for 1981-82. Would not the picture have been different if the Committee had the sought-after autonomous powers, wherein adequate staff could have handled the situation by going round the States and checking up the happenings in the different Boards all over the country.

The Delhi Legal Aid Cell, as just one example, has shown that for the year 1983, they did not receive their scheduled grant till July of the same year. Even then only an *ad hoc* amount of one lakh of rupees has been released, thus it was barely limping along from April to June on a meagre residual left-over from the previous financial year. Would not the concerned Board have closed down due to lack of finance if the residual amount had not been left over? The Committee, if possessing autonomy, would have never allowed such a situation to prevail.

Sir, the quantum of aid to States and voluntary organisations gives a clear picture of the situation. That the Committee has been hampered by following the ponderously slow Government system is clearly shown by the grants-in-aid it has been able to sanction to various ancillary bodies at State and other levels for the year 1982-83. The total sum spent is a mere Rs. 12,43,149 and that too on an all-India basis. Is this our budget for legal aid schemes to reach the poor and the needy of this vast nation in all the corners of the country? Would an independent and fully autonomous committee not have functioned faster and more realistically? The main Committee itself, at the Central level, functions on a marginal staff of 3 officers, 5 staff members and two peons. Staffing recommendations by both the Committees and its State Units are ignored totally by the authorities concerned. In August 1982, the Committee commissioned and received a detailed report by Dr. Rajeev Dhawan on a proposal for proper structuring and staffing. We quote certain extracts from Dr. Dhawan's reports:

—"One of the principal difficulties faced by the Committee is that it is vrey short staffed."

—"this staff is helplessly inadequate for both implementing what the Committee is doing now, and developing any systematic strategy."

Despite Dr. Dhawan's recommendations, the report has been ignored by Government and the pattern of short-staffing remains the same.

Again, Sir, in a Legal Aid Scheme of any distinction, the proper use and ready availability of legal practioners, lawyers is of utmost importance. At the moment, the same is handled whimsically on Government schedues, with laid down and fixed inadequate compensation not at all welcomed by the legal profession. If a completely autonomous Committee were to handle this situation, it would be more fesible to handle free and legal compensation on a case-to-case basis, thus encouraging the best of the legal profession to accept cases for Legal Aid and Advice Schemes.

Sir, coming to investigation, qualified social workers can deliver the correctness of the case to the Board. Sir, We all understand that the Legal Aid Boards function on Government money which is people's money in trust with the Government. If a single case taken up to give free legal aid turns out to be wrong one, it would amount to using Government finances to encourage litigation, and not to help the poor. So when a case comes to the Board, it is highly essential that the Board investigates the genuineness of the case. It is not to be like an office where anybody can file an application and receive legal aid automatically. Case work is highly essential, even if it is done on restricted basis. Then people would realize that they should not place wrong facts before

the Board. A completely autonomous Committee has recognised the need of qualified social workers as case-workers within each Legal Aid Cell, to attend to the proper investigation of cases rather than depend totally on complainants. But the Government is still thinking on this issue. Dr. Dhawan's proposal of August 1982, Sir, is still unimplemented along with other proposals that have been totally ignored.

Sir, that need for publicity programme is not thought necessary, is evident. Effective publicity programme through mass media (Radio and TV), printed media (journals and newspapers) in several regional languages, if possible, form part and parcel of the Committee and it functions to implement a thorough penetration to all corners of our country. Such publicity programmes must be properly formulated, costed and implemented without delay, in order to perform at maximum efficiency. The Committee and its ancillaries suffer from delay on the part of Government circles to approve such programmes. Again, the latter are subjected to unnecessary scrutiny, reduction, cancellations, questioning by and from Government circles, hardly recognizing the needs of the Committee and such programmes. Complete autonomy and statutory status here would produce results beneficial to all concerned, most certainly the poor and needy and ignorant, who are totally unaware of their basic rights and the existence of Legal Aid Cells and Schemes.

Sir, in this vast country it needs intensive campaign to tell the people that there is legal aid available for them, and that they should take advantage of this fact. At present, the checks and counter-checks are not able to reach the message of free legal aid to our vast masses.

Sir, finally, let me mention one thing. It can clearly be seen by Members of the House that our most pressing problem, that of the alleviation of the poor and needy, destitute and non-literate sectors of our society, cannot be just theorized on paper, without the justification of proper implementation and practice. Yes, we do have a pressing problem, and organisations such as the Committees, even though Government instituted and prompted, must be freed from any Government restraint that hampers their efficient and appropriate functioning. As time limits us, we are not able to produce fully our justifications, but can only sum up by quoting the words of Lyman Abbot:

> "If ever a time shall come, when *in this city only the rich man en*joy law as a doubtful luxury, when the poor who need it most *cannot have it, when only a golden* key will unlock the door to the courtroom, the seeds of revolution will be lighted and put into the hands of men and they will almost be justified in the revolution which will follow."

We propose then through this House the following recommendation, Sir:

> "That the Government bring forward suitable legislation to make legal aid organisations at the Centre and the States, statutory and fully autonomous with adequate powers and full authority to perform their tasks successfully for the needy and the poor of this nation;

> "That the Government bring forward suitable legislation to sufficiently increase grant-in-aid, staffing and generally *progagate th*e effort of Legal-Aid Cells and the like in the alleviation of the poor and the needy in the country."

Thank you, Sir.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): The Resolution is now open for discussion. Shri Hukmdeo Narayan Yadav.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दोचार मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा क्योंकि असल में तो हमारे शिव चन्द्र झाजी इस पर बोलने वाले थे और मैंने भी अपना नाम दे दिया था, लेकिन, चूंकि मुझे बुलावा आ गया है इसलिए मैं यहां एक ही प्रश्न उठाना चाहूंगा और यह कि जो गरीब लोग हैं गांवों में अपनी झोंपड़ी में रहते हैं बड़े लोगों के जरिये तंग और तबाह किये जाते हैं और वह इतना तंग और तबाह किये जाते हैं कि उन को कोई न्याय मिल सके, उन इंसाफ मिल सके उसके लिये कहीं पुकार कर सकें इतनी ताकत भी उनके पास नहीं रह पाती है। आज की जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसका एक अंग न्यायपालिका भी है और उसमें न्याय के लिए इतनी लम्बी लड़ाई चलती है कि वकालत नामे पर दस्तखत करते-करते वह बेचारा परेशान हो जाता है।

हमारे गांव में एक कहावत है कि एक पैसे का मुर्गी और ९ पैसे का मसाला। जितना अदालत में खर्च नहीं होता है उससे कहीं अधिक पैसा उस गरीब का अदालत जाने आने में, दौड़ने में और वहां जाकर रहने में और वकील साहब को फीस देने में और वहां के कागज पत्रों में खर्च हो जाता है और उसका इतनी ताकत नहीं रहती कि वह अदालत से इंसाफ पा सके। आखिर में उसको इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो अगर गरीबों को इंसाफ देना ही है तो सरकार को चाहिए कि कोई न कोई कोई ऐसी व्यवस्था करे और वह व्यवस्था इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उन गरीबों का उस से सही और समय पर न्याय मिल सके और इसके लिए सरकार से जो भी सहायता मिलनी चाहिये वह सरकार ज्यादा से ज्यादा उन को दे। इस प्रकार की कानूनी सहायता देने वालों की कमी नहीं है, अच्छा कानून जानने वालों की कमी नहीं है, ऐसे लोगों को सरकार इस काम में लगाये और जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, जो कोर्ट में काम करने वाले हैं, ऐसे तत्वों की जमात बना कर उनके जिम्मे यह काम दे और उसका सहयोग दे ताकि गरीबों को इंसाफ मिल सके। यही मैं चाहता हूं। हमारे विधि मंत्री जो यहा बैठे हैं, वह इस के बारे में जल्दी से जल्दी कोई कार्यवाही करें ताकि करोड़ों लोगों को इंसाफ मिल सके। जो हरिजन हैं आदिवासी हैं पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित, शोषित हैं जिन पर प्रतिदिन अत्याचार होता है उस अत्याचार को रोकने के लिये अदालतें तो कारगार तभी हो सकती हैं कि जब न्याय पाने के लिये उनके पास पैसे हों। पैसा उन के पास नहीं होगा तो उन को इंसाफ नहीं मिल पायेगा। तो कोई न कोई व्यवस्था करके आप उन को जल्दी और सही न्याय दिलाने की व्यवस्था करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कानूनी सहायता समिति या परिषद् के माध्यम से गरीब लोगों को सहायता प्रदान की जाय इस तरह का प्रस्ताव लाकर हमारी रोडा जी ने सारे देश का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि समय-समय पर अपने देश के बड़े-बड़े नेताओं द्वारा, मंत्रियों के द्वारा भी यह घोषणा की जाती रही है कि देश के अंदर जो गरीब या दलित या इस प्रकार के लोग हैं जिनको अपने जीवन की प्राथमिक जरूरत को पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं है, ऐसे

सब लोगों को न्याय दिलाने की दृष्टि से समुचित व्यवस्था की जायेगी। इस के लिये मुफ्त व्यवस्था की जायेगी। यह घोषणायें बराबर होती रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि घोषणाओं के बावजूद भी जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये थी उस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पायी और मैं इस संदर्भ में भूतपूर्व विधि मंत्री श्री गोविन्द मेनन का यह वाक्य उद्धृत करना चाहूंगा उन्होंने कहा था कि किसी भी न्यायप्रिय सरकार का यह दायित्व है कि देश के जितने भी गरीब और दलित लोग हैं उनको न्याय अत्याधिक तीव्रता से सुलभ हो सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। यह सरकार का कर्तव्य है। लेकिन आज न्याय का दरवाजा उसी तरह से सभी नागरिकों के लिये खुला है जिस तरीके से अशोक होटल का दरवाजा खुला है। यह उनका वाक्य है। अशोक होटल में वही जा सकता है जिसके पास पैसा होगा। वही लोग उसका उपभोग कर सकते हैं। इसी तरीके से जिसके पास पैसा है वह न्याय को खरीद सकता है। गरीब को घसीटकर शोषण का शिकार बनाता है। ऐसी स्थिति का विधि मंत्री ने भी उल्लेख किया है। स्वयं हमारे वर्तमान विधि मंत्री जी ने देश के नागरिकों को आश्वस्त किया। पिछले वर्ष शिलांग में उनका भाषण हुआ था जिसमें उन्होंने देश की जनता को आश्वस्त किया था कि गरीब को हम मुफ्त न्याय दिलायेंगे और अदालती फीस माफ करने के लिए पूरे राज्यों को निर्देश करेंगे। अदालत की फीस बहुत अधिक है उसे गरीब बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अदालती फीस माफ करने का सवाल ही नहीं है, उसके अन्दर स्वयं भी इतना भ्रष्टाचार है कि गरीब आदमी जब जाता है तो उसका शोषण होता है, उसको चूसा जाता है। विधि मंत्री जी ने घोषणा की कि लेकिन उसका कितना पालन होता है? किसी भी प्रदेश में जो भी राष्ट्रीय कानूनी सहायता परिषद की जो कानूनी सहायता समितियां बनी हैं उनका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है और उसके अखिल भारतीय कानूनी सहायता समिति के जो सचिव 1981 में श्रीमान आवाहन थे, उन्होंने कहा था कि किसी वकील के काम करने की यह फीस सत्र न्यायालय में 16 रुपये और उच्च न्यायालय में सौ रुपये दी जाती है जब कि उनको सामान्य तौर पर उच्च न्यायालय के अन्दर मध्यम वर्ग के वकील को भी 1 हजार रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक की फीस मिल जाती है, सौ रुपये से उनका क्या होने वाला है। उनका बजट भी निर्धारित किया गया है। अभी श्रीमती रोड़ा मिस्त्रि जी ने भी उसका उल्लेख किया है। स्वयं विधि मंत्री जी ने कहा था कि 1980–81 में 25 लाख रुपये इसके लिए आवंटित किए गए हैं। 1982–83 के लिए 54 लाख 20 हजार रुपये की व्यवस्था की गई है। आपने यह भी कहा था कि

[श्री कलराज मिश्र]

सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सहायता समिति के परामर्श के आधार पर उनकी रिकमंडेशंस के आधार पर हम एक माडल योजना तैयार कर रहे हैं । उसके अन्दर पूरे देश के प्रदेशों को हम ला रहे हैं जिनके माध्यम से गरीब लोगों को न्याय सुलभ हो सकेगा । लेकिन वह माडल योजना क्या है, कितने प्रदेशों में लागू हुई है, अभी उसके बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं है । इसलिए मैं चाहूंगा कि भले ही यह गैर सरकारी प्रस्ताव है, तो भी प्रादेशिक सरकारों के माध्यम से गरीब जनता को त्वरित न्याय दिलाने की दृष्टि से जो घोषणायें की गई हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए सरकार की तरफ से आवश्यक प्रबन्ध किया जाना चाहिए ।

श्रीमन्, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा । पहले अपने यहां यह व्यवस्था थी कि जल्दी न्याय दिलाने के लिये प्रशासन की तरफ से विकेन्द्रित व्यवस्था न्याय की थी और ग्राम पंचायत स्तर पर न्याय हो जाता था और 99 प्रतिशत झगड़ों का समाधान वहीं पर हो जाता था । थोड़े बहुत केसेज बाहर जाते थे । मैं समझता हूं कि उसी प्रकार की व्यवस्था की तरफ फिर से लोगों को ले जाने की कोशिश की जानी चाहिए, उस दिशा में भी विधि मंत्रालय की तरफ से सरकार को प्रयास करना चाहिए ।

मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी लोगों को न्याय मिल सके, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय मिल सके उतना ही अन्याय होने की गुंजाइश कम रहेगी । मैं इतनी बात कह कर फिर से विधि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और यह निवेदन करता हूं कि इस दिशा में वह सोचें और गरीब लोगों के लिये जितनी योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं उनको क्रियान्वित करने की दृष्टि से इसमें सक्रिय हों, इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्रीमती मैमूना सुल्तान (मध्य प्रदेश) : मैं वाइस चेयरमैन साहब, मैं आपकी मशकूर हूं कि आपने मुझे बहुत ही जरूरी रेजोलूशन पर जो रोडा मिस्त्रि लाई हैं, उस पर बोलने का मौका दिया । जहां तक इस रेजोलूशन को देखने का मौका मुझे मिला है पीछे जब बहस हुई थी तो मैं उस वक्त नहीं थी, लेकिन इस रेजोलूशन का हर एक पैराग्राफ जो है वह इस बात का मुसतहक है कि सरकार उस पर पूरी तरह से तवज्जो करे ।

मिस्टर वाइस चेयरमैन, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो स्टेट है वह एक वेलफेयर स्टेट है और इस तरह से कानूनी दृष्टि से आइनी रू से सोशली जो उसूल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पाबन्द करने के लिये लाजमी है । इसकी अन्दरूनी चीजों को जब हम देखते हैं तो उसमें अमीरी और गरीबी का सवाल आता है या नहीं ? उसमें

अमीरी और गरीबी का सवाल उतना नहीं है । हमारा पूरा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो हमारी प्रोयोरिटी हैं उसमें कहीं जगह ऊंच-नीच है और उस प्रोयोरिटी की ऊंच-नीच की वजह से जिन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए वह नहीं मिलता । मिसाल के तौर पर यह सवाल आता हैं, अखबारों में भी देखते रहते हैं कि छोटी-छोटी लड़कियां, माइनर गर्ल्स के रेप के आफेंस ऐसे जराइम हैं जो हमारे मुल्क ही में नहीं होते दूसरे मुल्कों में भी होते हैं । यह बड़े अफसोस की बात है । लेकिन यह हिन्दुस्तान है । हमारे यहां ऐसे जराइम होना बड़े फसोस की बात है लेकिन सवाल यह है कि इंसाफ कैसे मिले । इस जुर्म के बाद रेप के बाद या दूसरे आफेन्स के बाद जिसके खानदान पर, जिसकी लड़की पर यह हालत गुजर रही हैं, यह समझिये की वह क्राइम से कम नहीं है । उसके लिये यह बड़ी मुश्किल की बात है कि वह अदालत में जाकर या पुलिस आफसरों के पास जाकर अपना यह बयान दे कि यह वारदात हमारे साथ गुजरी है । इसको वह बरदाश्त कर ले यह बहुत बड़ी बात है । आपका जो ला आफ ऐविडेन्स है वह इतना नाफिज है, इतना कमजोर है कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता । ला मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं । मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वह इसको देखें क्योंकि एक लड़की हिन्दुस्तानी जुबान में लोगों के सामने इस बात को कान्फेस नहीं कर सकती । हिन्दुस्तान हिन्दुस्तान है इस पर उसके ऊपर जब यह वारदात गुजरेगी तो और उसको सबूत लाने के लिये कहा जायेगा तो वह सबूत कहां से लायेगी । हमारे रस्मो-रिवाज ऐसे हैं कि बात फैलती चली जाती है । ऐसी हालत में लड़की महरूम रहती है । वह न इधर की रहती है और न उधर की रहती है । इसमें रुपयों का सवाल नहीं आता लेकिन लीगल एड का सवाल जरूर आता है । पब्लिक कान्सेन्सस उठाने का सवाल भी जरूर आता है । पब्लिक कान्सेन्शस उठाने के लिये हम लोग यहां हैं, ला मिनिस्टर साहब यहां हैं । इससे बढ़ कर और कौन हो सकता है । मैं यह गुजारिश करूंगी कि आप इस पर गौर करें ।

दूसरी चीज इसमें यह है कि दहेज के कारण रात-दिन पेट्रोल डाल कर लड़कियों को जला दिया जाता है। लड़कियां दहेज के कारण खत्म हो जाती हैं । रोज रात-दिन अखबारों में आता रहता है । मेरे ख्याल से इसमें ला आफ एविडेंस की जरूरत नहीं है । मेरी आपसे गुजारिश है कि आपकी सरकार में, आपके पुलिस डिपार्टमेंट में, अपकी होम मिनिस्टरी में ऐसा सैल होना चाहिये कि जब कोई लड़की किसी मुसीबत में हो तो बकायदा उसका वास्ता उस डिपार्टमेंट से हो और उसकी इत्तला सीधी उस डिपार्टमेंट से पुलिस तक पहुंच जाए, और पुलिस इस पर तुरन्त कार्यवाही कर सके । इसका तीसरा हिस्सा और है इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो सोशल वैलफेयर बोर्ड है और दूसरी वालेंटरी आर्गेनाइजेशनस हैं, वे इस बारे में बहुत अच्छा काम कर रही हैं । इस बारे में रात दिन औरतें उनके साथ काम करती हैं, मेहनत करती हैं । हमारी रोड़ा मिस्त्रि जी भी इसमें रात-दिन लगी रहती हैं । औरतें उनके पास आती हैं । लेकिन जितनी वालेंटरी आर्गेनाइजेशन्स हैं उनके लिये भी । Where is the legal authority to implement it ?

इन बोर्ड्स को अगर आप इम्प्लीमेंटेशन की अथारिटी दें तो ये काफी इफेक्टिव हो सकती हैं। औरतों के साथ जो अन्याय होता है, जो सोशियल इनजस्टिस होता है उन सबको रोकने की जरूरत है। उनके लिये इंसाफ के दरवाजे खोलने की जरूरत है। मैं समझती हूं कि कानून में थोड़ी नहीं बल्कि काफी तरमीमें करने की जरूरत है। इतना कहकर मैं आप का शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रीमती रोडा मिस्त्रि जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं इनका प्रस्ताव अत्यन्त ही सराहनीय है जिन बातों की तरफ इन्होंने इशारा किया है, चाहे वह कानूनी संगठन हो या कानूनी सलाह-मशविरा देने वाला कोई व्यक्ति हो, वह गरीबों को जो कानूनी मदद दी जानी चाहिए वह नहीं के बराबर देता है। मुझे जो जानकारी है, कानूनी सहायता देने के लिये जो बोर्ड बने हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे गरीबों को कानूनी राय देते हैं, वे वास्तव में गरीबों को कोई मदद नहीं पहुंचाते हैं, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। गरीब बेचारा इधर-उधर टक्कर मारता रहता है। जो वकील 15 रु०, 16, रु० लेता है उसको कचहरी में सौ रुपये मिलते हैं। वह 15–20 रु० में काम नहीं करता है। बेचारे गांव वाले गरीब लोग बिना किसी मदद के रह जाते हैं। आपने इसमें कास्ट की कोई बात नहीं कही है, यह बहुत अच्छी बात है। चाहे कोई हरिजन हो या शैड्यूल्ड कास्ट का आदमी हो, सबको एक समान माना गया है। इसलिये मैं विधि मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि वे इस प्रकार की कोई व्यवस्था करें कि अगर कोई वकील किसी व्यक्ति के मुकदमे को ठीक प्रकार से नहीं करता है और एक गरीब आदमी का मुकदमा ठीक प्रकार से नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये और उसको उसके पद से हटा देना चाहिए। मंत्री जी यह जानते हैं कि कई वकील इस प्रकार के होते हैं जो उन लोगों के केसों को ठीक प्रकार से करते हैं जिनसे रुपया मिलता है। गरीबों के मामलों में रुचि नहीं लेते हैं। मैं चाहता हूं कि विधि मंत्री जी इस बात का निर्देश जारी करें कि जो कोई भी वकील गरीब लोगों के मुकदमों को ठीक प्रकार से नहीं करेगा उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा और उसके स्थान पर किसी दूसरे वकील की नियुक्ति का जाएगी ताकि गरीबों को राहत मिल सके।

इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे स्कूल कालेजों में आपने गरीब लोगों के बच्चों की हालत को देखा होगा। मैं इस निश्चित राय का हूं कि जब कभी हमारी सरकार बनेगी और मुझे उम्मीद है कि हमें सरकार में आने का मौका मिलेगा तो हम जरूर इस दिशा में काम करेंगे। सन 1977 में हमारी सरकार बनी थी, लेकिन वह अपनी नालायकी की वजह से पद पर नहीं रह सकी। हमें उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हमें प्रशासन में आने का मौका मिला और वह जरूर मिलेगा, तो हम एक कुशल प्रशासक के रूप में उभरकर सामने आयेंगे और आपको अच्छे काम करके दिखाएंगे। यह मुझे विश्वास है। अगर हमारे हाथ में हुकूमत आ गई तो निश्चित रूप में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं कम से कम दसवीं जमात तक, जो गांव में हमारी लड़कियां, बहनें पढ़ती हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनकी हम पढ़ाई की व्यवस्था मुफ्त करेंगे और उनके भोजन की भी व्यवस्था

दोपहर में मुफ्त करेंगे। क्योंकि इस देश में उपसभाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे, आपको आश्चर्य होगा ही नहीं शायद क्योंकि आप जानते हैं... (**व्यवधान**) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० आर० मोरारका) : आर्डर प्लीज ।

श्री रामेश्वर सिंह : ... कि करीब 40 प्रतिशत लोग इस देश में ऐसे हैं जो तीन आने पर अपना गुजर-बसर करते हैं, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर उनके लिये शिक्षा की व्यवस्था मुफ्त हो तो उनके लिये स्कूल में भोजन की व्यवस्था भी की जाय ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो भोजन दिया जाय वह अच्छा दिया जाय। आज आप क्या भोजन दे रहे हैं, भोजन में चर्बी मिलाकर दे रहे हैं, सुअर की चर्बी मिलाकर दे रहे हैं, कुत्ते की चर्बी मिलाकर दे रहे हैं, गाय की चर्बी मिलाकर दे रहे हैं, बिल्ली की चर्बी मिलाकर दे रहे हैं... (**व्यवधान**) .. आप बैठिये।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें यही नहीं, यह जो आप खिलाते हैं उसके कारण आज देश में इतनी बीमारियां हो रही हैं और यह हमारी सेहत को खत्म करने का एक कारण हैं। इससे सेहत खराब होती है और इससे करोड़ों करोड़ लोगों की भावना को ठेस पहुंचती है। इसलिये जो आपने एच० टी० सीं० बनाया है, जो परचेजिंग के लिये विभाग आपने बनाया है जो कि माल परचेज करता है, विदेशों से उस कमेटी में जो भ्रष्टाचार है जिससे ये सारी गड़बड़ियां होती हैं उन पर भी आपको अंकुश लगाना चाहिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उन दोषी लोगों को पकड़ने जा रही है, जिन लोगों ने इस काम को किया है उनको पकड़ने क्या सरकार जा रही है ? मेरा कहना है कि उस आफिसर को भी पकड़ा जाये जिसने एक लाख टन इस तरह से चर्बी मंगाकर लोगों के साथ विश्वासघात किया है और लोगों को बताया नहीं है। जो भी मंत्री इसमें शामिल हैं, उस मंत्री से तुरन्त इस्तीफे की मांग हम करते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को बार-बार कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को बचाने का क्यों प्रयत्न करते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता। ... (**व्यवधान**) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० आर० मोरारका) : आर्डर प्लीज ।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं आपकी सेहत के बारे में कह रहा हूं। आप अपनी सेहत देखिए, कैसी सेहत हो गयी है। यहां अच्छी सेहत कैसे होगी ? आज लोग क्या खा रहे हैं ? मैं श्रीमती रोडा मिस्त्रि का बहुत आभार प्रकट करता हूं जो आपने इस संकल्प को लाकर, डिस्कशन को लाकर कम से कम इस सरकार को, बहरी सरकार को, गूंगी सरकार को, बेजुबान सरकार को, इस सरकार के पास जुबान नहीं है, को सोचने के लिये मौका दिया है ताकि वह गरीबों के लिये कुछ कर सके। आज मंडल कमीशन पर बहस होने वाली है। मंडल आयोग पर बहस हो या न हो लेकिन मंडल आयोग क्या कहता है ? गरीबों को न्याय दिलाने की बात कहता है, गरीबों को राहत दिलाने की बात कहता है। लेकिन इसकी बात आप करना नहीं चाहते। तो उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा दो-एक जो जरूरी बातें हैं, जो मैं ने कही हैं अगर मंत्री जी

इस काम को कर सकें तो वे इतिहास में अमर हो जायेंगे। आपके प्रति मेरी सद्भावना रहती है। आपने खुद देखा होगा कि इस सदन में आपकी बहुत इज्जत करता हूं। कुछ मंत्री ऐसे हैं, जब मैं खड़ा होता हूं तो वे कांपने लगते हैं और उन्हें लगता है कि पता नहीं रामेश्वर सिंह हमारे ऊपर क्या हथियार फेंक दे। मैं ने यह हथियार कभी आपके ऊपर नहीं फेंका है। आप सज्जन पुरुष हैं। इसलिये आप एक बात जरूर करें और वह यह कि इस काम को आप कानून के द्वारा कर दें। इसके लिये आप एक अच्छा कानून बनाइये। मिलावट के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है और उनको बहुत तकलीफ होती है। कानून बनाकर और एजूकेशन द्वारा इस चीज पर नियन्त्रण किया जा सकता है ठीक किया जा सकता है। आज आप देखते हैं कि बहुत सी हमारी बहनें बसों और ट्रेनों में चलती हैं, उनके साथ कितनी छेड़खानी होती है, बच्चों का स्कूल है तो वहां टाट नहीं है, टाट है तो दीवार नहीं है, दीवार है तो झोंपड़ी नहीं है, झोंपड़ी है तो कुर्सी नहीं है, कुर्सी है तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो किताब नहीं है, किताब है तो विद्यार्थी नहीं हैं, विद्यार्थी हैं तो उनके पास खाने के लिये अन्न नहीं है। आप कम से कम उनको इससे तो राहत दिलवाइये। मंत्री जी आप इतने कुशल व्यक्ति हो, आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यह काम अगर आप कर दें तो बहुत बड़ा न्याय मिलेगा। आखिरी बात यह कहना चाहता हूं, गरीबों की जबान खोलने की बात है। हम लोग शहरों में रहते हैं। हमारी बहनों के लिये तो शौचालय आदि की व्यवस्था है मगर इस देश में 70-80 करोड़ लोग गांवों में रहते हैं आप गांवों में जाकर के हमारी बहनों की हालत तो देखिए। सौभाग्य से इस देश की प्रधान मंत्री एक महिला हैं। मैं इंदिरा जी की इज्जत करता हूं। इंदिरा जी के प्रति मेरी श्रद्धा की भावना है मगर यह श्रद्धा की भावना तब और बढ़ जायेगी जब कम से कम हमारी बहनों के लिये शौचालय की व्यवस्था प्रधान मंत्री कर दें। इसलिये आप यह इसमें जोड़ दीजिए कि इस देश में कोई भी हमारी बहन ऐसी जगह पर नहीं बैठेगी जहां कि उसके तन को लोग देख सकें। कम से कम हमारी बहनों के लिये, हमारी माताओं के लिये हिफाजत के लिये यह व्यवस्था हो जाये। इतनी व्यवस्था आप कर दीजिये। (**व्यवधान**) पता नहीं क्यों इनको इंदिरा जी ने यहां ला दिया है। यह चुप रह ही नहीं सकते। मैं अच्छी बात कहूंगा, मैं आप के लिये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमारी बहनों के लिये कम से कम भारत सरकार यह काम तो कर दे कम से कम तीन काम आप कर दो इस देश में गरीबों के लिये शिक्षा की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था और इज्जत के साथ और स्वाभिमान के साथ रहने की व्यवस्था अगर सरकार कर दे तो हमको कोई चीज की जरूरत नहीं है। मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। मुझे रहने के लिये मकान चाहिए, इज्जत के साथ रहने के लिये चाहिए, मेरे पेट में भोजन की व्यवस्था चाहिए और हमारी बहनों को तन ढकने के लिये व्यवस्था हो जाये तो हम समझते हैं कि देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। (**व्यवधान**) पानी तो छोड़िए पानी तो है पानी में तो जहर मिला है वह छोड़ दीजिये, मैं उस में नहीं जाना चाहता मगर उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार से जो निवेदन कर रहा था उसमें मुझे इतना ही कहना है कि गरीबों के लिये, हमारी बहनों के लिये तन

ढकने के लिये और उन को रास्ते पर न बैठना पड़े, जहां हमारी बहनें तन खोलकर बैठती हैं उनको न बैठना पड़े ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। दुनिया के इतिहास में जो भी आज आधुनिक युग में बीसवीं शताब्दी में आप रहते हैं, आप जापान में चले जाइये, आप अमरीका में चले जाइये, आप ब्रिटेन में चले जाइये, जर्मनी में चले जाइये, रूस में चले जाइये जो भी विकसित देश हैं उन देशों में क्या हालत है, वहां किस तरीके से लोग रहते हैं, लेकिन हमारे यहां हमारी बहनों के लिये तन ढकने के लिये कपड़ा नहीं है। घुटने से ऊपर उनके पास कपड़ा है और कभी-कभी बहनों के लिये तो शरीर के ऊपर के भाग के लिये भी कपड़ा नहीं होता। आज स्कूल कालेजों में जाते हैं। आज उनकी क्या हालत है? आज इस देश में 80 प्रतिशत हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनके चेहरे सूखे हुये हैं। पांच प्रतिशत लोग हैं जिनके बच्चों के चेहरे गुलाब की तरह से खिले हुए हैं। मगर इस देश में करोड़ों बच्चे हैं जिनकी शक्ल देखने पर लगता है कि जैसे इनकी शक्ल को कहीं से जला दिया गया है।

SHRI SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): Is he speaking on the General Budget? (*Interruptions*)

श्री रामेश्वर सिंह : हमारी भावना की इज्जत करती हैं न आप। आप की बगल में बैठ कर यह क्या खुराफात करते हैं। क्या खुराफात करते हो भाई? मैं जो बात कह रहा हूं बच्चों के लिये स्कूल में भोजन की व्यवस्था...

श्री सैयद सिब्ते रज़ी : बी० जे० पी० वाले बता रहे हैं आपको बार-बार क्या अलायेंस हुआ है।

श्री रामेश्वर सिंह : बच्चों के लिये-- स्कूल में बढ़िया स्कूल, बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था, बढ़िया भोजन की व्यवस्था, बच्चों को मुफ्त किताबें और जो अध्यापक पढ़ाते हों... (**समय की घंटी**) आखिर में यह कहता हूं कि सरकार इस बात को सुन ले गरीबों के लिये स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों की व्यवस्था हो। एक तरफ सौ रुपया, दो सौ रुपया, पांच सौ रुपया खर्च करने वालों के लिये शीत-ताप नियन्त्रित स्कूल हैं जो गर्मी के दिन में ठंडा और ठंड के दिनों में गर्म वाले स्कूल हैं जहां बिड़ला के बच्चे पढ़ते हैं और जहां आपके और हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहां पर क्या होता है। वहां पर बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं... (व्यवधान)

श्रीमती मैमूना सुल्तान : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठाने के लिये आपसे माफी चाहूंगी। मैं आपको बताना चाहती हूं कि वे बहुत अच्छी तकरीर कर रहे हैं, चीजों पर बहुत अच्छी रोशनी डाल रहे हैं लेकिन जो... (**व्यवधान**) विषय है उसी के साथ मेरा ख्याल है कि वक्फ वाला भी आता है। यह मुझे उम्मीद है। इस लिये मैं खड़ी हुई थी। दूसरी गुजारिश यह थी कि जहां तक रामेश्वर जी का ताल्लुक है मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं, उनको लीडर मानती हूं लेकिन एक चीज कहे बगैर नहीं रह सकती हालांकि मेरा मतलब इनसे बिल्कुल नहीं है, रामेश्वर जी से नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे एक चीज याद आ गयी है और वह बिल्कुल पार्लियामेंटरी है और वह आपको बताना चाहूंगी कि जिम्मेदार के लिये यह सलाहिया जरूर है कि मजमे में जाये तो लीडर नजर आये। तो यह भी है। इस हाउस में वे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। बस यही कहना है।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं खतम कर रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब, जो मैं

स्कूल के बारे में बता रहा था, यह है कि हमारे बच्चों के, गरीबों के बच्चों के पढ़ने के लिये जहां पर स्कूल है तो टाट नहीं है, टाट है तो दीवार नहीं है और अमीरों के बच्चों के पढ़ने के लिये ऐसे स्कूल हैं जिनमें गर्मी के दिन में ठण्डा और ठण्ड के दिन में गर्म रहता है। शीत-ताप नियन्त्रित जिसे कहते हैं वे होते हैं और सारी आधुनिकतम साज-सज्जा से सज्जित होते हैं।

इस देश में चपरासी का बेटा चपरासी होगा, इस देश में सिपाही का बेटा सिपाही होगा, मास्टर का बेटा मास्टर, बनिये का बेटा बनिया, दरोगा का बेटा दरोगा, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर, मंत्री का बेटा मंत्री, प्रधान मंत्री का बेटा प्रधान मंत्री होगा, यह इस देश की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को आप को तोड़ना होगा। मंत्री जी आप से मेरा आग्रह है कि आप इस परम्परा को तुड़वायें। इस परम्परा को चलायें कि चौकीदार का बेटा... **(व्यवधान)** मालूम होता है कि आपके बच्चे हैं ही नहीं, अगर होते तो ऐसा क्यों कहते। हमारे बच्चे हैं इसलिये मैं कह रहा हूं। तो मेरा यह कहना है कि सारी व्यवस्था को आप को बदलना पड़ेगा और भारत में आजादी की लड़ाई का मकसद तभी पूरा होगा नहीं तो आजादी का मकसद पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि गांधी जी का संकल्प था, मेरा भी संकल्प था, गांधी जी ने जो संकल्प सुझाया था और हमारे भाई लोगों ने भी जो संकल्प किया था वह यही किया था कि आजादी का मतलब होगा आजाद रहना, आजादी का मतलब होगा, कपड़े का मिलना, आजादी का मतलब होगा पढ़ाई की व्यवस्था, आजादी का मतलव होगा, दवाई की व्यवस्था, आजादी का मतलब होगा, कानून की व्यवस्था, आजादी का मतलब होगा, काम की सुरक्षा, आजादी का मतलब होगा, रहने की व्यवस्था, आजादी का मतलब होगा, इज्जत से जीना। यही हमारा मकसद था और आजादी अब आ गयी है लेकिन कानून मंत्री जी अगर यह नहीं है... **(व्यवधान)** तो मैं कहता हूं कि यह आजादी झूठी है। इस आजादी को खत्म करो, इस आजादी में आग लगा दो। जहां पर इन्सान को भोजन न मिलता हो, जहां न्याय न मिलता हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे इतना मौका दिया और कानून मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी बात गौर से सुनी और मैं समझता हूं कि आप उन पर अमल करेंगे। क्यों? देखिए, कानून मंत्री जी मैं यह जरूर **(व्यवधान)** नहीं जानता हूं कि पहले मैं जाऊंगा या पहले आप जायेंगे... **(व्यवधान)** एक सेकेण्ड। आपकी अवस्था मेरे बड़े भाई की अवस्था है मैं भगवान से चाहता हूं कि आप दीर्घजीवी हों... **(व्यवधान)** कौन कब जायेगा मालूम नहीं। मुझे याद है जब डा० लोहिया जी का स्वर्गवास हुआ और श्री कामराज ने डा० लोहिया की मृत्यु पर शोक संवेदना प्रकट की तो जय प्रकाश नारायण जी ने कहा कि आज हमको यहां होना चाहिए था। जय प्रकाश नारायण ने... **(व्यवधान)** दिया था। मैं इसलिये कह रहा हूं कि आपके द्वारा जब इस देश में न्याय मिलेगा तो दुनिया समझेगी कि कौशल साहब जैसे एक कौशल पुरुष इस देश में आये थे। कौशल गुण संपन्न हैं, नाम से ही कौशल नहीं बल्कि गुण से भी कौशल हैं और उन्होंने कौशलता की तथा देश को राहत दी, 77 करोड़ जनता को राहत दी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्रीमती मैमूना सुलतान : श्रीमन् मेरी गुजारिश थी कि जो रामेश्वर सिंह

जी ने कहा है कि "इस आजादी को आग लगा दो" तो यह रिकार्ड में नहीं जाना चाहिए । ये लाख कोशिश करते रहें लेकिन ये कौन होते हैं हमारी आजादी को आग **(व्यवधान)** लगाने वाले । . . .

श्री रामेश्वर सिंह : आप काहे को आपत्ति कर रही हैं । आपने प्रस्ताव पेश किया मैंने उसका समर्थन किया ।

श्री सैयद रहमत अली (आंध्र प्रदेश) : मोहतरम, वाइस-चेयरमैन साहब, श्रीमती रोडा मिस्त्रि ने जो रेजोल्यूशन पेश किया है, उस पर इस हाउस के अरकान ने अपने गराकद्र ख्यालात का इज़हरा फरमाया । मुझ से पहले इसी रेजोल्यूशन पर बात करते हुए आजाद हिन्दुस्तान के एक ऐसे अजीबो-गरीब वाशिंदे ने अपने ख्यालात का इज़हार किया है कि जिसकी सूझबूझ के बारे में कुछ उनको और हम सब को जायज़ा लेना पड़ेगा ।

मैं समझता हूं कि न सिर्फ हिन्दुस्तान में रहने-बसने वाले, बल्कि हिन्दुस्तान के अलावा, दुनिया के किसी भी चप्पे में रहने वाले हर फर्द के दिल में आजाद हिन्दुस्तान की एक बहुत बड़ी इज्जत और उसका एक बहुत बड़ा मुकाम है । लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब भाई रामेश्वर सिंह जी ने यह फरमाया कि उनके दिल की तमन्ना यह है कि इस आजादी में आग लगी दी जाए । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि. . . . **(व्यवधान)**

†[شری سید رحمت علی

(آندھرا پردیش) : محترم وائس چیرمین صاحبہ - شریمتی روڑا مستری نے جو رزولیشن پیش کیا ہے - اس پر اس ھاؤس کے ارکان نے اپنے گرانقدر خیالات کا اظہار فرمایا ھے - مجھہ سے پہلے اس رزولیشن پر بات کرتے ھوئے آزاد ھندوستان کے ایک ایسے عجیب و غریب باشندہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ھے کہ جسکی سوجھ بوجھ کے بارے میں کچھ انکو اور ھم سب کو جائزہ لینا پڑیگا -

میں سمجھتا ھوں کہ نہ صرف ھندوستان میں رھنے بسنے والے - بلکہ ھندوستان کے علاوہ - دنیا کے کسی بھی چپے میں رھنے والے ھر فرد کے دل میں آزاد ھندوستان کی ایک بہت بڑی عزت اور اسکا ایک بہت بڑا مقام ھے - لیکن مجھے بڑا دکھ ھوا جب بھائی رامیشور سنگھ جی نے یہ فرمایا کہ انکے دل کی تمنا یہ ھے کہ اس آزادی میں آگ لگا دی جائے - لیکن میں یہ کہنا چاھتا ھوں کہ . . . . . "مداخلت"]

† [ ] Translitration in Arabic script.

श्री रामेश्वर सिंह : नहीं, नहीं मौलाना साहब मैंने यह नहीं कहा कि इस आजादी में आग लगी दी जाए । मैंने ठीक कहा कि इस आजादी में आग लगा दी जाए जो हक यदि पूरा नहीं करती है ।

श्री सैयद रहमत अली : अच्छा, तो यही सही । अगर रामेश्वर सिंह जी जैसे लोग हिन्दुस्तान में जो आजादी है, वैसी आजादी को आग लगाना चाहते हैं, तो मेरी उनसे दरखास्त यह है कि वह अपने दिमाग का तिब्बी मुआयना करायें । हर होशमंद आदमी, हर अकलमंद आदमी हर फहममंद आदमी इस बात पर न सिर्फ अकीदा बल्कि ईमान रखता है कि हमारे बुजुर्गों. . . . . **(व्यवधान)**

†[شری سید رحمت علی : اچھا تو یہی صحیح - اگر رامیشور سنگھ جی - ھندوستان میں جو

آزادی ہے - ویسی آزادی کو آگ لگانا چاہتے ہیں تو میری ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ کا طبی معائنہ کرائیں - ہر ہوشمند آدمی - ہر عقلمند آدمی - ہر فہم سخن آدمی اس بات پر نہ صرف عقیدہ بلکہ ایمان رکھتا ہے کہ ہمارے بزرگوں...... مداخلت]

श्री रामेश्वर सिंह : बुद्धि और समझ का फर्क है। ...(व्यवधान)

श्री सैयद रहमत अली : ...ने, हमारे बुजुर्गों ने और हमारे असलाफ ने अपनी शहरग का लहू देकर इस मुल्क को आजादी दिलाई और इस आजादी की हिफाजत ख्वाह पालियामेंट में हो, पालियामेंट के बाहर हो, अंदरूनी फितना और फिसाद फैलाने वाले लोगों के हमले हों, या बहरूणी हमला हो, हर मौके पर हिन्दुस्तान के बावकार शहरी की हैसियत से मादरे-वतन की आजादी की हिफाजत की हम सब की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को भुला कर किसी छोटे-मोटे अन्याय को बेस बना कर, बुनियाद बना कर अगर आजादी को कोई आग लगाने की बात करता है, तो उसको हिन्दुस्तान का कोई शहरी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है।

मोहतरम वाइस-चेयरमैन साहब, मैं इस मौके पर यह बात अर्ज करना चाहता हूं कि इस रेजोल्यूशन पर बहस करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि आजादी की लड़ाई की कहानी क्या है, किस तरह से इस मुल्क के जियाले आवाम ने फांसी के फंदों पर झूल कर मादरे-वतन को आजादी दिलाई और जब आजादी मिली, तो आजादी के मिलने के बाद हिन्दुस्तान जिस रास्ते पर चल रहा है, वह रास्ता कौनसा रास्ता है ? क्या कोई फर्द या रामेश्वर सिंह जी इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई जब 1857 ई० में शुरू हुई, तो उसी मौके पर हमारे बुजुर्गों ने इस बात का तसफिया किया था कि जब हिन्दुस्तान आजाद होगा, तो हमारी मंजिल क्या होगी और 15 अगस्त, 1947 ई० के बाद से लेकर अगर आप आज तक की सूरतेहाल का जायजा लेंगे, तो आपको मालूम होगा कि हमारे बुजुर्गों ने आजाद हिन्दुस्तान का जो ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए जिन रास्तों का ताय्युन किया था, हमें इस बात का बड़ा फख्र है कि हिन्दुस्तान साबित कदमों के साथ उन्हीं राहों पर गामजन है और हम इस बात पर भरोसा रखते हैं कि हम अपने मुल्क को उन बुजुर्गों के ख्वाब का हिन्दुस्तान बनाने का हौसला हम में मौजूद है मैं इस सिलसिले में यह बात भी अर्ज करना चाहता हूं कि हमें यह देखना है कि आजाद हिन्दुस्तान जिस ढंग से काम कर रहा है, उसमें मुकनना यानी लेजिस्लेचर अमला यानी एडमिनिस्ट्रेशन, अदलिया यानी जूडिशरी, ये तीनों स्तून हमारे समाज के आम आदमी के लिए हैं; आजाद हिन्दुस्तानी शहरी के लिये सुख और अमन की शांति की जिंदगी लाने के लिए यह तीनों शोबे काम करते हैं। बिलाशुबह हमारे मुल्क में जो 200 साल से ज्यादा गुलामी के बन्धनों में जकड़ा हुआ था, उसमें बहुत सी ऐसी बुराइयां और कमजोरियां आ गई हैं कि उन बुराइयों और कमजोरियों को पूरी तरह से दूर करने में अभी हम कामयाब नहीं हुए हैं और हमें कामयाबी के लिये हौसले से और हिम्मत के साथ काम करना है।

जहां तक कि गरीब आदमी के लिए इन्साफ हो, गरीब आदमी तक इन्साफ को पहुंचाने का सवाल है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं, तो मैं बड़े दुख के साथ यह बात अर्ज करना चाहता हूं कि इस मुल्क में इन्साफ

[श्री सैयद रहमत अली]

महंगा है और शायद जिसकी लाठी, उसकी भैंस वाला मामला हमें कारफर्मा दिखाई देता है। मैं मोहतरम ला मिनिस्टर साहब से यह बात जनना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान की मुख्तलिफ हाई कोर्टस में, सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेज पेंडिंग हैं ?

मैंने कुछ अर्सा पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी एक अखबार में कि केरल का एक केस पिछले तीन सौ साल से हिन्दुस्तान की एक आला अदालत में जोकि अब सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना-पहचाना जाता है, पेंडिंग पड़ा है और मसला सिर्फ यह है कि एक मजहबी रस्म के मौके पर हाथी पर जो जुलूस निकाला जाता है--झंडा उस हाथी के माथे पर तिलक ऊपर से लगाया जाए या नीचे से लगाया जाए। अब आप सोचें कि अगर 3 सदियों में, 300 सालों में इस मसले का तस्फिया कोर्ट नहीं कर सकता है तो हमें देखना पड़ेगा कि अदालत किस ढंग की है। जब एक मसला हमारे सामने आया है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे गांवों में, हमारे ताल्लुकों में, हमारे जिलों में और शहरों में जो आबादी है और वहां जो लोग रहते हैं, जो गरीब लोग हैं अगर वह किसी अदालती केस में मुब्तिला हो जायें तो उन को उस से किस तरह से छुटकारा मिल सकेगा। बिलाशुभा हमारी हुकूमत की नियत साफ है। हुकूमत ने लीगल बोर्ड कायम करने के सिलसिले में पहल की है लेकिन जिस तरह से रोडा मिस्त्री साहब ने तबज्जेह दिलायी है कि आप इस लीगल ऐड पर सालाना कितना पैसा खर्च करते हैं यह देखा जाय। अगर दस, बारह लाख रुपया मुहैया कर दिया जाए तो क्या उन दस, बारह लाख रुपयों से तमाम गरीब आदमियों तक हम इंसाफ पहुंचा सकेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि ताल्लुकों और डिस्ट्रिक्ट से हट कर क्या हाई कोर्टस में आप ने लीगल ऐड के लिये वकीलों की कोई खिदमत हासिल की है और फिर आप जानते हैं कि जब अदालत में कोई मुकदमा पेश होता है तो बारसबूत मुद्दई पर आता है और बारसबूत जब मुद्दई पर आता है तो आप सोचिये कि एक बड़े आदमी की नाइंसाफी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिये एक आदमी जाय और बारेसबूत उस पर हो तो आप सोचें कि क्या धन के बल पर, ताकत के बल पर, असर के बल पर एक बड़ा फरीक उस की एवीडेंस का मुकाबला कर सकता है या नहीं। मैं ऐसा महसूस करता हूं एक ले मैन की हैसियत से कि एवीडेंस ऐक्ट में तब्दीली करनी पड़ेगी। मैं महसूस करता हूं कि जिस तरह से रेप केसेज में बारे सबूत के बारे में आप ने तरमीम दी है उसी तरह से गरीब आदमी के हक में इंसाफ कराने के लिए यह जरूरी है कि एवीडेंस ऐक्ट में तरमीम की जाये ताकि गरीब आदमी को भी फायदा पहुंच सके।

बड़े दुख की बात है कि लीगल बोर्ड के लिये जो काम करते हैं, उस में सिर्फ तीन अफसर काम करते हैं और अगर तीन ही अफसर काम करते हैं तो आप सोचें कि क्या हमारे जेहन में जो बात है कि गरीब आदमी तक इंसाफ पहुंचाया जाय वह पहुंचाया जा सकता है ? इस का जायजा हम को लेना पड़ेगा।

मैं एक बात खास तौर पर ला मिनिस्टर को इत्तला के लिये अर्ज करना चाहता हूं। दिल्ली की एक अदालत में एक मुकदमा पेश हुआ। एक साहब की जायदाद पर दूसरे साहब लीज पर मौजूद थे और उस के बाद वे अपनी दूकान बढ़ा गये। तीसरे आदमी ने उस दूकान पर कब्जा कर लिया। यह इस मामले को ले कर कोर्ट में जब गये तो दखलिये की डिग्री [ह

डिग्री मिलने के बाद जब वे लोग दखलिया कराने के लिए मुकाम पर पहुंचे तो वहां पर बेलिफ को गुंडों ने डरा-धमका कर भगा दिया और उन से यह कहा गया कि आप पुलिस की मदद चाहते हैं तो फिर से आप को अदालत में दरखास्त देनी पड़ेगी। जब पुलिस की मदद के लिए अदालत में दरखास्त दी गयी तो बजाय इस के कि उस दखलिये की डिग्री को तामील किया जाता, वहां पर यह कहा गया, जो अनआथराइज्ड फरीक काबिज है उस को फिर से नोटिस दे दी गई और फिर यह मामला वहां से निकल कर हाई कोर्ट में पहुंचा है। अगर इस तरह की पेचीदगियां पैदा कर दी जाएं गरीब आदमी के रास्ते में तो वह गरीब आदमी किस तरह इंसाफ हासिल कर सकता है। इस लिए यह जरूरी है कि हम इस अच्छे और नेक मकसद के लिए ज्यादा से ज्यादा वोकला रियासतों में, शहरों में मुहैया करें ताकि हर लेवल पर गरीब आदमी की मदद का इन्तजाम कर सकें।

आखीर में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप गरीब आदमी की इमदाद के लिए जिन वोकला को एपोइन्ट करते हैं उन के मुकाबले जो दूसरे वकील आते हैं वे किस दर्जे के होते हैं। आले दर्जे के वकील के सामने नये आदमी को मुतइन कर दिया जाय तो क्या आप समझते हैं कि गरीब आदमी के हक में इंसाफ हो सकेगा। मेरा अपना अहसास यह है कि ऐसे वोकला साहबान जिन्होंने अपने पेशे में नाम ऊंचा कमाया है, काफी उनकी प्रेक्टिस है उन्हें भी रजाकाराना तौर पर मैदाने-अमल में आना चाहिए, उन्हें भी अपनी खिदमात गरीब अवाम की भलाई के लिए देनी चाहिए ताकि गरीब के हक में इंसाफ हो सके। मुझे यकीन है कि ऐसा दिन आयेगा हिन्दुस्तान में कि न सिर्फ हमारी आजादी बरकरार रहेगी बल्कि आजादी में आग लगाने की बातें करने वाले लोगों के दिमाग में भी इसलाह हो सकेगी।

†[شری سید رحمت علی :

ہمارے اسلاف نے - ہمارے بزرگوں نے - اپنی شہہ رگ کا لہو دیکر اس ملک کو آزادی دلائی اور اس آزادی کی حفاظت خواہ پارلیمنٹ میں ہو - پارلیمنٹ کے باہر ہو - اندرونی فتنہ اور فساد پھیلانے والے لوگوں کے حملے ہوں - یا بیرونی حملہ ہو - ہر موقعہ پر ہمیں ہندوستان کے با وقار شہری کی حیثیت سے مادر وطن کی آزادی کی حفاظت کی ہم سبکی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو بھلا کر کسی چھوٹے موٹے اپیائے کو بہس بناکر - بلیاہ بناکر اگر آزادی کو کوئی آگ لگانے کی بات کرتا ہے تو اسکو ہندوستان کا کوئی شہری برداشت کرنے کیلئے تیار نہیں ہے -

محترم وائس چیر مین صاحب میں اس موقعہ پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس رزولیشن پر بحث کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ آزادی کی لڑائی

†[ ] Transliteration in Arabic script.

[شری سید رحمت علی]

کی کہانی کیا ہے کسطرح سے اس ملک کے جیالے عوام نے پھانسی کے پھندوں پر جھول کر مادر وطن کو آزادی دلائی ہے - اور جب آزادی ملی تو آزادی کے ملنے کے بعد ہندوستان جس راستہ پر چل رہا ہے وہ راستہ کون سا راستہ ہے - کیا کوئی فرد یا رامیشور سنگھ جی اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی جب ۱۸۵۷ع میں شروع ہوئی تو اسی موقعہ پر ہمارے بزرگوں نے اس بات کا تصفیہ کیا تھا کہ جب ہندوستان آزاد ہوگا تو ہماری منزل کیا ہوگی اور ۱۵ اگست۱۹۴۷ عیسوی کے بعد سے لیکر آپ آجتک کی صورتحال کا جائزہ لینگے تو آپکو معلوم ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے آزاد ہندوستان کا جو خواب دیکھا تھا - اس خواب کو پورا کرنے کیلئے جن راستوں کا تعین کیا تھا - ہمیں اس بات کا بڑا فخر ہے کہ ہندوستان ثابت قدمی کے ساتھ انہیں راہوں پر گامزن ہے - اور ہم اس بات پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ان بزرگوں کے خواب کا ہندوستان بنانے کا حوصلہ ہم میں موجود ہے - میں اس سلسلے میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آزاد ہندوستان جس ڈھنگ سے کام کر رہا ہے اس میں مققنہ یعنی لیجسلیچر عاملہ یعنی ایڈمنسٹریشن - عدلیہ یعنی جوڈیشری - ان تینوں ستونوں کو جو ہمارے سماج کے عام آدمی کے لئے ہیں - آزاد ہندوستانی شہری کے لئے سکھ اور امن کی—شانتی کی زندگی لانے کے لئے یہ تینوں شعبہ کام کرتے ہیں - بلا شبہ ہمارے ملک میں جو ۲۰۰ سال سے زیادہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اس میں بہت سی ایسی برائیاں آ گئی ہیں کہ ان برائیوں اور کمزوریوں کو پوری طرح سے دور کرنے میں ابھی ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں اور ہمیں کامیابی کے لئے حوصلہ اور ہمت کے ساتھ کام کرنا ہے -

جہاں تک کہ غریب آدمی کیلئے انصاف ہو - غریب آدمی تک انصاف کے پہنچانے کا سوال ہے اس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں انصاف مہنگا ہے اور شاید جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ کار فرما دکھائی دیتا ہے - میں

محترم لا منسٹر صاحب سے یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ آج ہندوستان کی مختلف ہائی کورٹ میں - سپریم کورٹ میں کتنے کیسز پینڈنگ ہیں - میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک نیوز پڑھی تھی ایک اخبار میں کہ کیرل کا ایک کیس پچھلے تین سو سال سے ہندوستان کی ایک اعلیٰ عدالت میں جو کہ اب سپریم کورٹ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے پینڈنگ پڑا ہے اور مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک مذہبی رسم کے موقعہ پر ہاتھی پر جو جلوس نکالا جاتا ہے — اس ہاتھی کے ماتھے پر تلک اوپر سے لگایا جائے یا نیچے سے لگایا جائے - اب آپ سوچیں کہ اگر تین صدیوں میں - تین سو سالوں میں اس مسئلہ کا تصفیہ کورٹ نہیں کر سکتا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ عدالت کس ڈھنگ کی ہے - جب ایک مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑیگا کہ ہمارے گاؤں میں - ہمارے تعلقوں میں - ہمارے ضلعوں میں - اور شہروں میں جو آبادی ہے اور

وہاں جو لوگ رہتے ہیں - جو غریب لوگ ہیں - اگر وہ کسی عدالتی کیس میں مبتلا ہو جائیں تو انکو اس سے کسطرح سے چھٹکارا مل سکیگا - بلا شبہ ہماری حکومت کی نیت صاف ہے - حکومت نے لوکل بورڈ قائم کرنے کے سلسلے میں پہل کی ہے لیکن جسطرح سے رودرہ مستری صاحبہ نے توجہ دلائی ہے کہ آپ اس لیگل ایڈ پر سالانہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں یہ دیکھا جائے - اگر دس بارہ لاکھ روپیہ مہیا کر دیا جائے تو کیا ان دس بارہ لاکھ روپیوں سے تمام غریب آدمیوں تک ہم انصاف پہنچا سکینگے - میں جاننا چاہتا ہوں کہ تعلقوں اور ڈسٹرکٹ سے ہٹ کر کیا آپ نے لیگل ایڈ کیلئے وکلا کی کوئی خدمت حاصل کی ہے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب عدالت میں دوانی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو بار ثبوت مدعی پر آتا ہے - اور بار ثبوت جب مدعی پر آتا ہے تو آپ سوچئے کہ ایک بڑے آدمی کی

[شری سید رحمت علی]

نا انصافی کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کیلئے ایک آدمی جائے اور بار ثبوت اس پر ہو تو آپ سوچیں کہ کیا آپ دھن کے بل پر - طاقت کے بل پر - اثر کے بل پر ایک بڑا فریق اسکی ایویڈینس کا مقابلہ کر سکتا ہے یا نہیں - میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ ایک لے مین کی حیثیت سے کہ ایوی ڈینس ایکٹ میں تبدیلی کرنی پڑیگی - میں محسوس کرتا ہوں کہ جسطرح سے ریپ کیسز میں بار ثبوت کے بارے میں آپ نے ترمیم کی ہے اسی طرح سے غریب آدمی کے حق میں انصاف کرانے کیلئے یہ ضروری ہے کہ ایویڈینس ایکٹ میں ترمیم کی جائے تاکہ غریب آدمی کو بھی فائدہ پہنچ سکے -

بڑے دکھ کی بات ہے کہ لیگل بیورو کے لئے جو کام کرتے ہیں - اس میں صرف تین افسر کام کرتے ہیں اور اگر تین ہی افسر کام کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ کیا ہمارے ذہن میں جو بات ہے کہ غریب آدمی تک انصاف پہنچایا جائے وہ پہنچایا جا سکتا ہے - اس کا جائزہ ہم کو لینا پڑے گا -

میں ایک بات خاص طور پر لا منسٹر کی اطلاع کے لئے عرض کرنا چاہتا ہوں - دلی کی ایک عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا - ایک صاحب کی جائداد پر دوسرے صاحب لیز پر موجود تھے اور اس کے بعد وہ اپنی دوکان بڑھا گئے - تیسرے آدمی نے اس دوکان پر قبضہ کر لیا - یہ اس معاملہ کو لے کر کورٹ میں جب گئے تو تخلیہ کی ڈگری ملی - تخلیہ کی ڈگری ملنے کے بعد جب وہ لوگ تخلیہ کرانے کے لئے مقام پر پہنچے تو وہاں پر بیلیف کو غنڈوں نے ڈرا دھمکا کر بھگا دیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ پولیس کی مدد چاہتے ہیں تو پھر سے آپ کو عدالت

میں درخواست دینی پڑے گی - جب پولیس کی مدد کے لئے عدالت میں درخواست دی گئی تو بجائے اس کے کہ اس تخلیہ کی ڈگری کو تعمیل کیا جاتا تو وہاں پر یہ کہا گیا جو وہاں پر ان اتھارائزڈ ریق قابض ہے اس کو پھر سے نوٹس دے دی گئی اور پھر یہ معاملہ وہاں سے نکل کر ہائی کورٹ میں پہنچا ہے - اگر اس طرح کی پیچیدگیاں پیدا کر دی جائیں غریب آدمی کے راستے میں - تو وہ غریب آدمی کس طرح انصاف حاصل کر سکتا ہے - اس لئے ضروری ہے کہ ہم اس اچھے اور نیک مقصد کے لئے زیادہ سے زیادہ وکلا ریستوں میں - شہروں میں مہیا کریں تاکہ ہر لیول پر غریب آدمی کی مدد کا انتظام کر سکیں -

آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ غریب آدمی کی امداد کے لئے جن وکلا کو اپائنٹ کرتے ہیں ان کے مقابلے جو دوسرے وکیل آتے ہیں وہ کس درجہ کے ہوتے ہیں - اعلی درجہ کے وکیل کے سامنے نئے آدمی کو متعین کر دیا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی کے حق میں انصاف ہو سکے گا - میرا اپنا احساس یہ ہے کہ ایسے وکلا صاحبان جنہوں نے اپنے پیشہ میں نام اونچا کمایا ہے - کافی ان کی پریکٹس ہے انہیں بھی رضاکارانہ طور پر میدان عمل میں آنا چاہئے - انہیں بھی اپنی خدمات غریب عوام کی بھلائی کے لئے دینی چاہئیں - تاکہ غریب کے حق میں انصاف ہو سکے -

مجھے یقین ہے کہ ایسا دن آئے گا ہندوستان میں - کہ نہ صرف ہماری آزادی برقرار رہے گی بلکہ آزادی میں آگ لگانے کی بات کرنے والے لوگوں کے دماغ کی بھی اصلاح ہو سکے گی -]

SHRI SANKAR PRASAD MITRA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, we are all thankful to Mrs. Roda Mistry for raising in this House a very important but a vast subject.

Before we go on to the remedies suggested by her, it is necessary to consider the problem from a realistic angle. Let us first of all go through the relevant provisions of the Constitution. Article 21 of the Constitu-

[Shri Sankar Prasad Mitra]

tion prescribes: "No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure laid down by law." Then Article 39A was introduced in the chapter on Directive Principles by the 42nd Amendment in 1976. This Article 39A in the Directive Principles has two major aspects. One is equal justice, and the other is freelegal aid. The provisions are these: "The State shall secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity and shall, in particular, provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disability." Now, read with article 21A, thi

4 P.M. directive has been taken cognisance of by the court to lead to certain guidelines in the administration of justice. These guidelines are: 1. When the accused is unable to engage a lawyer owing to poverty or similar circumstances, the trial would be vitiated unless the State offers free legal aid for his defence by engaging a lawyer to whose engamement the accused does not object. 2. To allow an indigent claimant for compensation for road accidents to apply *in forma pauperis.* 3. To compel the jail authorities to supply a free copy of the judgement to a prisoner so that he may exercise his right to appeal. These principles have been enunciated in Hussainara's case, reported in A.I.R. 1979 Supreme Court 1369, in Haskot's case, reported in A.I.R. 1978 Supreme Court 1548 and in the case of the State of Haryana—the State of the Law Minister—reported in A.I.R. 1979 Supreme Court 855. Up till now, except in the State of Bihar, there has been no legislation. But schemes and other ways, as envisaged in article 39A, have been on trial.

This legal aid has a history. First, a committee was fromed with the Senior Justice Bhagwati. That Committee made a report. Then, a second committee was formed with Justice Krishna Iyer. The Krishna Iyer Committee gave a report. Then, a third committee was constituted with junior Justice Bhagwati and that report was also made available. Ultimately, the legal aid implementation committee was set up by the Central Government with a Supreme Court judge as the Chairman. Sir, as I have already said, this article 39A, has mainly two wings, namely equal justice and free legal aid. When we come to remedies, I am firmly of the opinion, which I have expressed repeatedly, both within this House and outside, that without decentralisation of the legal system and the restructuring of the judicial procedure, no legal aid scheme, not even a legislation, can be really effective. Free legal aid has three facets. 1. Arousing people's conscioueness about social reform legislations which have been passed ever since the attainment of Independence. 2. At the outset, trying to bring the parties together for a compromise. And if a compromise becomes an impossibility, then only, the third stage would arise, namely, appearance for an indigent litigant in courts of law. Sir, the legal aid implementation committee has formulated a model scheme. Under this model scheme, there are to be fitfteen members, twelve of whom are to be nominated by the respective State Governments. Up till now this model scheme has been accepted by the States of Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka, Maharashtra, Meghalaya, Orissa, Punjab, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and the Union Territories of Delhi and Pondicherry. I have already said that the State of Bihar has passed its own legislation. The States of Assam, Bihar, Himachal

Pradesh, Jammu and Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Manipur, Rajasthan, Sikkim, Tripura, West Bengal and the Union Territories of Dadra Nagar Haveli, Goa Daman and Diu, have legal schemes of their own. This is the state of affairs today. Now this legal aid programme in the States and the Union Territories at the moment is financed largely out of grants made by respective States or Union Territories. The Central Government sanctions grant-in-aid on the recommendations of the Committee for implementing legal aid schemes for specific projects to State Legal Aid and Advice Boards and social and voluntary institutions and organisations involved in the field of legal aid. This is the present position. If this position is immediately altered, there would be serious difficulties and it should be done with great care and caution. It is doubtful as to whether the Boards set up under the model scheme would be able to keep legal aid above all political considerations because, as I have said, out of 15 members, 12 members are to be nominated by the State Governments concerned.

Sir, what has to be done immediately, in my opinion, is that the Central Government should give more and more encouragement to social and voluntary institutions and organisations involved in the field of legal aid, subject to scrutiny of their accounts and whatever assistance is given to these organisations, a statement of that assistance should be laid on the Table of Parliament every year. Otherwise, there is possibility of abuses by autonomous Boards as suggested or any other bodies and these abuses must be avoided by us by all means.

Sir, I have studied legal aid schemes in the United States of America, in the United Kingdom and in the Soviet Union. Both in the United Kingdom and the United States the bar associations have come forward with peoples' programmes for legal aid. They have raised funds, there are trust funds which are helping them and it is a movement, a nation-wide movement. So far as the Soviet Union is concerned, you know that their legal system is entirely different. Their courts have no power whatsoever to pass any orders against the Government as such. No notification, no legislation issued or passed by Government can be challenged in any court of law. A Government officer, if found guilty of corruption, may be tried in courts of law. In the Soviet system, Sir, there is a collegium of lawyers. The litigant goes to the collegium. The collegium gives a list of lawyers and he has to choose his own lawyer. He pays the fees not to the lawyer but to the collegium itself. The collegium keeps a portion of the fees and gives the balance to the lawyer. And the portion that is retained by the collegium is used either for purposes of its own administrative expenses or for giving aid to the poor. In those countries, these have become more or less people's movements and there has been people's consciousness all around. In our country up till now, this movement is still in its infancy and has not yet assumed nation-wide proportions. At this stage, it would perhaps be better to leave it to the States to have their own legislations if they want to, but I do not think it would be advisable to have a central legislation. But the Centre should try the other methods indicated under Article 39A in all seriousness.

With these words, I appreciate the spirit in which this Resolution has been brought, but I hope that the mover of this Resolution would kindly consider the realities of the situation today.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Dr. Najma Heptulla. absent Shri Hansraj Bhardwaj.

श्री लाडली मोहन निगम (मध्य प्रदेश) : श्रीमन्, पिछली बार यह मंसूबा हुआ था कि उस दिन का प्रस्ताव जल्दी खत्म कर दिया जाय ताकि रोडा जी का प्रस्ताव लिया जा सके ।

[श्री लाडली मोहन निगम]

पहले वाला प्रस्ताव जल्दी खत्म कर दिया गया और उसके बाद दूसरा प्रस्ताव आया । मैं चाहता हूं कि आज भी जो तीसरे नम्बर पर प्रस्ताव है उसको भी ले लिया जाय, इसलिए रोडी जी के प्रस्ताव को जल्दी खत्म कर दिया जावे ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): One and a half hours' time is given to this Resolution today and thereafter your Resolution will be taken up. Shri Bhardwaj.

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ (Madhya Pradesh): Hon'ble Vice-Chairman, Sir, it is well known that we inherited our laws from the Britishers. It is a legacy with which we are continuing today. In India, such judicial reforms have not taken place as they should have. In this situation when our forefathers brought the Constitution and when they made provision for equality—social, political, economic—then it has to be considered and it has to be given thought to by us whether equality is possible in relation to justice when there are vast economic disparities in the population itself. The question is, when a poor man is pitched against a very rich man, can he assert his right effectively in that legal battle? This is a very significant question. When we talk about justice, the capacity to defend is always involved and that capacity to defend is material because it has also to be accepted that when you put a sound counsel as against a weak counsel, the case is always affected. The better the counsel available, the better are the prospects of winning the case. As a professional I know it, Sir. Therefore, when it was decided that the handicap in the way of the poor man has to be removed, the provision of legal aid to him was thought of. The rich man will not run about for legal aid. The rich man has all the avenues already with him. Therefore, he can have the constliest of the costly counsel. He can have all the things at his command to get the case delayed if it is going against him and there are numerous ways by which he has definitely an advantage over a poor man. Our forefathers made protective discrimination permissible in the Constitution itself. When we talk of equality, if it relates to a poor man, scheduled castes, scheduled tribes and backward people have been given protective discrimination. So, in this situation, when we talk of legal aid, as a comprehensive programme it should come. The provision of legal aid is the minimum that you can give to a poor man. When this thing was being discussed, I myself was in the movement for legal aid; we had undertaken numerous seminars before 1976 when article 39-A was added to the Constitution in Chapter IV, of Directive Principles. We had gone about throughout the country, practically all the States, and lawyers, judges, politicians, social workers each one of them was involved and then a unanimous consensus was brought in that something should be done in the Constitution itself so that the Government may take it seriously that the necessity of legal aid is available. So it was brought in 1976 and enforced in 1977, as our friend who spoke just now said, when article 39-A was inserted. The view was that the poor should be brought nearer to justice. We could not take justice to his doorsteps, but we tried to bring it nearer by narrowing the gap. I concede that legal aid is not the answer. Judicial reforms coupled with legal aid is the answer, if we are really sincere to solve the problem of disparities between the rich and the poor and giving justice to the poor. So when this Article 39-A was brought, there was a movement in the country. Justice Mitra spoke that in the UK and the USA the Bar has undertaken this will remind him that he

must have been at the Bar at that time when there was a movement in India also before 1977. And it was such a movement that not less than a thousand advocates attended each one of the meetings that were held throughout the nook and corner of the country. And then the programme of legal aid and Legal Aid Committee was started. Many eminent lawyers and judges were associated with it. Only then this new provision in the Directive Principles was made. But, unfortunately, it so happened that in March 1977 we lost and this programme received a setback because legal aid was abadoned from 1977 to 1980; it is a recorded fact that at that time it was not at all attended to. But in 1980, when our leader Mrs. Gandhi again came to power, one of the first programme that was undertaken was of legal aid. And in conformity with the decision, Bhagwati Legal Aid Committee was constituted, then the then Law Minister was gracious enough to allocate certain funds and give all encouragement. But the question is that we should not stop at that. Legal aid is one of the most essential programmes that we have to implement for the poor. Legal aid is the minimum which you could do if your system of judicial administration has to stay. Therefore, we should not stay at Bhagwati Committee or Desai Committee, or for that matter any other Committee.

I humbly suggest that we should introduce comprehensive legal aid. We must think of an apex body at the Centre and legal aid should percolate from the apex body to the various States, but it must be helped by the Centre because the Bar of Justice Mitra's time is no longer in existence. Then there were many advocates who took part in the freedom struggle, sacrificed everything, but there is one section of the Bar

(The Vice-Chairman (Shrimati Margaret Alva) in the Chair)

which does not want to part with even little part of their income and won't be a party to this scheme of legal aid. But we are committed to it.

When everybody talks of socialism, we have to proceed in the direction of socialism. We must not forget that legal aid is the minimum, without which you cannot talk of justice. We are very happy that the hon. Law Minister said that even the court fee should be exempted. He started with that slogan. We are very happy. We give our good wishes to him and hope he succeeds in that, because there is no reason why a poor man should be asked to pay if legal aid and justice in the real sense of the word has to be given to him. Justice should not be linked with ifs and buts. Justice should be offered without that. If *adal-e-Jehangir* concept of Justice is to be there, why should a poor man be asked to pay money when he comes to you? Therefore, it is necessary—our hon. friend, Mrs. Roda Mistry has brought a very very important Resolution—that we must consider the spirit of the Resolution. We must consider that the Bhagwati Committee alone will not solve the problem. The Government should consider having a statutory legal aid board or a statutory legal aid committee or authority—whatever name you may give it—under the Department of Justice or Law or Legal Aid, whatever it is to see that the legal aid spreads to the nook and corner of the country.

Many people do not know what their legal rights are. What is written in the Constitution, the illiterate people do not know. Therefore, you will have to go and tell them that they are free, that they are economically and socially free and free from all the satchels of indirect slavery. Therefore, when we talk of legal aid, legal awareness should be one of the programmes, education must also be a part of it, because the dumb-founded poor people cannot

[Shri Hansraj Bhardwaj]

fight the battle with the rich and the monopolist.

Today, unfortunately, though everybody assures that we are socialists, but, sorry, we cannot be true to the word unless we go to the poor and tell them that we sincerely mean their company. Everybody talks of equality. Equality with whom? Equality with a person who is above him, not to a person who is below him? This is the real concept of equality. If you want to be equal, you should try to be equal with smaller person also, not to a taller person alone. This should be the concept of equality in a country like India.

In the United States and the U.K. —I have also been there—no programme can succeed in the initial stage unless it gets the blessing of the Government because the Government has got the avenues. The Government can initially give some grants. Then the other people who have got the means will also contribute. So, that can also help in building up an atmosphere of legal aid. After all, what are you giving? Rs. 60 lakhs you are giving for legal aid. Rs. 60 lakhs are lost by the Government in a stay matter of a tax case. Around Rs. 5,000 crores of the Government of India has been stayed in the Supreme Court and other courts. That can be tolerated, and Rs. 60 lakhs is considered a wasteful expenditure here! I cannot understand. We must grant Rs. 60 crores for the poor. Rs. 600 crores for the poor, if justice can be given to them at that cost.

Therefore, Madam, I support this Resolution. A system of comprehensive legal aid must be brought through the Central Government, through the State Governments, and it must go down at least to the district level so that the poor man who lives in a poor backward area, can go to the district headquarters. Today a man comes from far off Karntaka, Andhra Pradesh, to the Supreme Court. We find that he comes in dirty clothes to the Supreme Court. He says, "You plead my case." We say, "O.K. Pay Rs. 5,000 to advocate on record and Rs. 5,000 to senior advocate and then sit outside our chamber till we call you." This is the justice we are giving to the poor man.

Fortunately we are working under a leader who is sincere to the poor. And that is why the Justice Bhagwati Legal Aid Committee was constituted and other committes were constituted. These committees could be converted into a programme in a more comprehensive way. And we the members of the Bar who have come from the poor strata of the society, are prepared to sacrifice our every thing in this, if necessary. We have already done that. If Justice Mitra starts with that, he will see that thousands and thousands of people who know the pinch of the poor man will co-operate with him.

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : महोदया, कानून सहायता के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं इसलिए समर्थन करता हूं क्योंकि मेरी समझ यह है कि जनतंत्र के अन्दर गरीबों को सस्ता न्याय दिलाना राज्य की जम्मेदारी होनी चाहिये। लेकिन आजादी के 35-36 वर्ष के बाद भी देखने को यह मिलता है कि आज भी लोगों को महंगे दर पर न्याय मिलता है। गरीबों को कचहरियों में पहुंचना और सस्ता न्याय पाना एक असम्भव सी बात है। अगर सही मायने में देखा जाये तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेज हैं उसका 99.9 परसेंट केस अमीरों के बीच में ही हैं। हाई कोर्ट की भी हालत करीब करीब उसी तरह की है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी हालत उसी तरह की है। इसका क्या अर्थ यह

लगाया जाय कि देश के अन्दर गरीबों पर कोई जुल्म और अत्याचार नहीं होता है जिससे वे कोई केस हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या जिला कोर्ट में या उसके नीचे नहीं लाते ? ऐसी बात नहीं है । कारण यह है कि न्याय इतना महंगा है कि उनके लिए यह संभव नहीं है कि वे अपना केस इन कचहरियों तक ला सकें और लाने में जो खर्च होता है उसे वहन करना, बर्दाश्त करना उनकी आर्थिक शक्ति के परे की बात है । केसेज को कोर्ट में लाने की बात तो छोड़ दीजिए बहुत से ऐसे भी केसेज होते हैं जिन केसेज को वे थाने में ले ही नहीं जाते हैं इसलिए कि उनके सामने हमेशा कचहरियों में जाने की फीस, आने जाने का खर्च और कोर्ट के खर्च, इन तमाम खर्चों के चित्र जब प्रस्तुत होते हैं तो वे कचहरियों में केस फाइल करना उचित नही समझते हैं । इसलिए जो गरीबों को न्याय मिलना चाहिए वह न्याय नहीं मिल पाता है । सरकार बार-बार घोषणा करती है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 50 प्रतिशत है इसलिए ऐसे लोग कचहरियों में जायें और यह महंगा न्यायय प्राप्त करें यह उनके लिए असम्भव सी बात है ।

सरकार ने बहुत तरह के कानून बनाये हैं । हदबंदी का कानून बनाया है, फाजिल जमीन का कानून बनाया है, न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाया है, सोशल डिसेबिलिटी को दूर करने का कानून बनाया है और इस तरह के अनेक सामाजिक कानून बनाये हैं जो कि आम तौर पर गरीबों के लिए ही बनाये गये हैं और उनसे यह अपेक्षा की गयी थी कि इन कानूनों के जरिये गरीबों को कुछ राहत दिलायी जायेगी । हम लोग देहात से आते हैं और हम लोग पाते यह हैं कि हदबंदी से फाजिल जमीन के लिए जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष के लिए केस फाइल करना कचहरियों में, गरीबों के लिए बिल्कुल ही असम्भव है । उसी तरह से फाजिल जमीन से जनित केसेज, न्यूनतम मजदूरी से जनित केसेज, छुआछात से उत्पीड़ित और उनसे जनित जो केसेज होते हैं, इन तमाम केसेज को कचहरियों में लाना गरीबों के लिए एक असम्भव सी बात हो गयी है । इसी लिए जरूरत इस बात की है कि जो कानून सरकार ने पारित किये हैं उनके जरिए अगर सरकार सचमुच में गरीबों को न्याय देना चाहती है, अगर वह यह चाहती है कि विभिन्न तरह के जो सामाजिक कानून पास हुए हैं, उन कानूनों के जरिये गरीबों को राहत मिले तो जरूरत इस बात की है कि सरकार उनको सस्ता न्याय देने के सम्बन्ध में कोई मजबूत कदम उठाये । क्या होना चाहिए ? प्रश्न यह है कि कैसे सस्ता न्याय उनको दिलाय जा सकता है । एक सुझाव आया कि सस्ता न्याय दिलाने के लिए सरकार को कोई बोर्ड या इस तरह का कोई कानून नहीं बनाना चाहिए बल्कि वालंटरी जो आर्गेनाइजेशन्स हैं उनके ऊपर इस बात को छोड़ देना चाहिए कि वे चंदा दें और चंदे के जरिये जो पैसा आये उस पैसे के जरिये गरीबों को कचहरियों के अन्दर सस्ता न्याय दिलाने की ओर कदम उठ सकता है । लेकिन मेरी समझ यह है कि वालंटरी आर्गे-नाइजेशन्स के जरिये चंदा आये और उस चंदे से गरीबों को न्याय मिले यह संभव नही है । इंग्लैंड और अमेरिका के अन्दर मुझे जानकारी नहीं है लेकिन मैं जानता हूं कि उन देशों के अन्दर न्याय सस्ता नहीं है । बल्कि न्याय बहुत ही मंहगा है । इसलिए वालंटरी आर्गेनाइजेशन के जरिए पैसा जमा करके गरीबों को सस्ता न्याय दिलवाया जा सके, यह हमारे लिए इस बात को स्वीकार करना या

[श्री सूरज प्रसाद]

इसका समर्थन करना मेरे लिए सम्भव नहीं है। इस तरह से मैं समाजवादी देशों के बारे में कुछ जानता हूं—जिन देशों में कम्यूनिस्ट पार्टी की हुकूमत है अभी मिश्रा जी ने बोलते हुए उन देशों के बारे में आलोचना की। जहां तक मेरी जानकारी है, उन देशों के अन्दर जो वकील होते हैं, वह सरकारी वकील होते हैं —पक्ष और विपक्ष, दोनों को सरकार की तरफ से वकील बिना फीस का मिलता है।

मैं चाहता हूं कि सरकार को समाजवादी देश के अन्दर न्याय दिलाने की जो पद्धति है, उसका गहराई से अध्ययन करना चाहिए और हिन्दुस्तान की परिस्थिति में उसको किस ढंग से लागू किया जाए, इस पर विचार करना चाहिए। अगर समाजवादी देशों की पद्धति सचमुच में गरीबों को न्याय दिलाने में समर्थ होती है, अगर उससे सचमुच में गरीबों को उससे सस्ता न्याय मिल जाता है, तो मैं समझता हूं कि भारत को उस पद्धति को लागू करने की दिशा में गम्भीरता से विचार करना चाहिए क्योंकि सस्ता न्याय मैं समझता हूं कि महज घोषणा करने से नही होगा। गरीबों के बारे में आजकल बातें करना मंत्र जपने के समान हो गया है। शायद ही कोई व्यक्ति हो, जो अमीरों की तरक्की चाहता हो, जो हिन्दुस्तान में पूंजिवाद का समर्थक हो, जो हिन्दुस्तान में अमीरशाही का समर्थक हो, जो हिन्दुस्तान में मानोपली का समर्थक हो, पूंजिवाद का समर्थक हो, वह जब यह आदमी इन गरीबों का नाम लेकर उनकी सहायता की बात चलाता है, तो मुझे बड़ी ही उनकी नीयत पर गहरा संदेह होता है।

इसलिए मैं चाहता यह हूं कि सरकार जब हिन्दुस्तान के संविधान में समाजवाद का लक्ष्य रखा गया है, उसकी प्रस्तावना में समाजवादी उद्देश्य हैं, अगर समाजवादी उद्देश्य उसकी प्रस्तावना में हैं, तो महज प्रस्तावना तक ही वह सीमित नहीं रहने चाहिएं। अब मिश्रा जी ने कहा कि दूसरे बहुत से सेक्शंस ऐसे हैं जहां सस्ता न्याय देने की दिशा में संविधान में कुछ संशोधन किया गया है, डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इस तरह की बात कही गई है कि हमें सस्ता न्याय देना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में जब संविधान में इस तरह की बातें हैं, तो अब संविधान तो हमारे देश का बुनियादी कानून है। उस कानून से दूसरे कानून एमनेट करते हैं। ऐसी अवस्था में दूसरे कानूनों को बनाना चाहिए ताकि गरीब लोगों को सस्ता न्याय इस संबंध में मिल सके।

मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा और वह यह है कि सी० आर० पी० सी० में सरकार ने एक प्रावधान किया था कि केस जो फाइल होगा थाने के अन्दर और अनुसंधान जो थाने के अन्दर होगा, उसमें गांव से जो लोग जायेंगे, उसमें गवाही देने के लिए, तो उनको टी० ए० दिया जाएगा। यह सी० आर० पी० सी का संशोधन जहां तक मुझे स्मरण है 1972 या 1974 में हुआ था और इस तरह का प्रावधान वहां किया गया था। मैं समझता यह हूं कि गरीब जोकि फाइल करता है, उसका व्यक्ति नहीं मिलता है (**समय की घंटी**) मैं खत्म ही कर रहा हूं, न्याय नहीं मिलता है क्योंकि वह आने-जाने का व्यय वहन करने में असमर्थ हो जाता है।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सी० आर० पी० सी० में जो इस तरह का प्रावधान किया गया है, क्या सरकार ने उसके लिए कोई उचित प्रावधान किया है ताकि अगर लोग थाने में जाएं, तो

अनुसंधान के लिए थाने में गवाही देने के लिए जायें, तो उनको इस तरह की सुविधा मिल सके, इस तरह की क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है ? (**समय की घंटी**)

इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं इस बात को समर्थन करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : पासवान जी, पांच ही मिनट मिलेंगे ।

श्री लाडली मोहन निगम : यह तय हो चुका है---तीन हफ्ते से यह चल रहा है--- आप के पहले जो उपसभाध्यक्ष थे उन्होने खुद कहा कि साढ़े चार बजे तक इस प्रस्ताव का समय है, उस के बाद आप का प्रस्ताव आ जायेगा । पिछला मर्तबा मौर्य साहब के प्रस्ताव पर भी एक घंटा बढ़ गया था ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : आप का रिजोल्यूशन आयेगा ।

श्री लाडली मोहन निगम : आने से मेरा मतलब नहीं है । पूरी तरह बात कह न सकें तो क्या फायदा । मर्यादा की बात है, जैसा आप चाहें, आप के हाथ में है । साढ़े चार बजे की सीमा उन्होंने लगा दी थी और इसी वास्ते आधा घंटा और बढ़ा देने की बात की थी ।

श्री रामभगत पासवान (बिहार) : महोदया, मैं आप के प्रति बहुत आभारी हूं कि आप ने बोलने के लिए समय दिया । यह प्रस्ताव गरीबों से सम्बन्धित है । कानून मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। मैं कानून मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि गरीबों को लीगल एड देने का उन्हीं ने प्रावधान किया है लेकिन अभी जो लीगल एड दी जा रही है वह ऐसी है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा का घोटन । गरीबों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं । परचा वाली भूमि गरीबों को दी, वह कब्जा करने के लिए जाते हैं तो उन पर केस किया जाता है । गरीबों पर केस बढ़ रहे हैं, बिहार में आप रहे हैं, आप को पता है । लीगल एड जहां भेजते हैं अफसर खा जाते हैं, जहां न्यायालय में भेजते हैं न्यायालय के अधिकारी खा जाते हैं, गरीबों को मिलती नहीं है । इस लिए मैं आप से आग्रह करता हूं कि आप जिस रूप में लीगल एड दे रहे हैं, वकील फ़ी कर रहे हैं, उस को कैश देते हैं, वह मजदूरी छोड़ कर आता है, वह मजदूरी देते हैं, बहुत ऐसी जगह हैं जहां बहुत भयानक अत्याचार हुआ है बेलची कांड, पिपरा कांड, जिस के पति मर गये वह मुसम्मात कैसे कोर्ट में आयेगी। जूडीशियरी इतनी पेचीदा है कि पांच-पांच, छः छः रोज पर तारीखें पड़ती रहती हैं । तारीख बढ़ने से न्यायालय के अधिकारी समझते हैं कि उस की आमदनी बढ़ी । पेशकार अलग लेता है, वकील अलग लेता है, फैसले के समय अलग चाहिए । इस तरह पेचीदा जूडीशियरी है । पुलिस के अत्याचार कहां तक कहूं, महोदया । गरीब और अमीर के झगड़े में पुलिस कभी गरीब के पक्ष में रिपोर्ट नहीं देती है । पति मारा जाता है, घर उजाड़ दिया जाता है, जहां बसे हुए हैं परचा वाली जमीन पर उस जमीन से बेदखल कर दिया जाता है । इस प्रकार के अत्याचार होते हैं। पुलिस कभी गरीब के पक्ष में रिपोर्ट नहीं देती । इस लिए आप कृपया अलग कोर्ट कायम कर दीजिए गरीबों के लिए । लीगल एड पड़ी हो रह जाती है। कहीं मिलती भी है दो रुपया, चार रुपया तो किरानी परेशान करा कर ले लेते हैं । इस लिए विधि मंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि या तो पूरे मुकदमे का खर्च दीजिए या उनके लिए अलग से स्पेशल कोर्ट बना

[श्री रामभगत पासवान]

दीजिए ताकि उन को न्याय मिल सके, आसानी से न्याय मिल सके सस्ता न्याय मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं उपसभाध्यक्ष महोदया को बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया।

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGANNATH KAUSHAL): Madam, Vice-Chairman, at the outset I must express my thanks to all the hon. Members who have participated in the debate on this Resolution. I am also prepared to agree that the idea behind the Resolution is laudable. The only point on which there seems to be a difference of opinion is whether the time has come when we should legislate.

The House had the privilege of hearing a very learned speech of Justice Mitra. He has drawn the attention of the House to most of the salient features of the legal aid schemes which are functioning in the country and has also drawn attention to the legal aid schemes in other countries also. There can be no denial of the fact that this idea of legal aid was born as a Directive Principle of the Constitution in 1976. And, Madam, immediately thereafter, concrete steps were taken to appoint committees, committees of a high standing, and they went into the matter and then they tried to produce reports. On the basis of those reports various committees were constituted and, today, the position is, as has been explained by the honourable Member, Shri Mitra, in almost all the States legal aid is being administered by the Boards which have been set up by those States. I need not mention the States because, as I see it, most of the States have got Legal Aid Boards functioning. Only two States have passed legislation in this respect. Mr. Mitra mentioned only one State. But there is another State and that is the State of Madhya Pradesh and the other is the State of Bihar. Both the States have made legislation also. I do not say that we are satisfied with the progress which has been made because the problem is much too complex. Most of us who deal with the law courts know what difficulties a poor litigant has to face and it is not that you give some money or you provide a lawyer to a poor man and then he gets an equal opportunity against a rich adversary. But a number of other things have also to be taken care of before we can hope to provide an equal opportunity for him to seek justice. That is why the Bhagwati Committee has emphasised that the question of legal aid has a number of facets. For the present, legal aid is given in the following forms:

First, legal aid is given by initiating or defending legal proceedings in the courts of law for securing the rights of legal remedies to the poor and the vulnerable sections of the society.

Secondly, there is something called preventive legal aid which includes promotion of legal literacy, legal aid camps, legal aid clinics, public interest litigation, training of para-legal personnel and research in the area of law affecting the poor.

The third category of legal aid is this: In this form of legal aid, various social action, non-political, groups involved in the field of legal aid at the grass-roots level are associated for surveying, identifying and taking up entitlement problems faced by the rural poor as well as urban entitlements.

Now, as I said earlier, these are all the various facets of the problem or question of legal aid and the Bhagwati Committee itself has now started the programme of having legal aid camps which, from the re-

ports which we have received, seem to indicate that these camps have caught the imagination of the people because in some States the honourable retired judges have started going and members of the legal bar have started going to the villages themselves and there the people come to know that they are people before whom matters can be brought and, therefore, they go there and they respond to these people and the disputes are settled there. The real problem is this: No litigant will have any faith unless the faith is there in the personality of the person who goes there for settling their disputes. The other question which has been raised by a number of friends is that if we provide a lawyer giving him a small emoluments, obviously he is not going to be equal to a lawyer who has succeeded in the profession and who charges huge fees. These handicaps are there. We do not deny this. But in order to overcome these handicaps, experiments are being made now, and in the light of experiments that we are conducting through mass media, through spreading legal literacy, through involving social workers and also involving social organisations, when we come to a conclusion that now this legal aid scheme has taken firm roots only then it will be possible for us to think of a legislation; otherwise it is open to the States either to legislate, as two States have done, or to continue with the legal aid programmes through their Boards through the model schemes.

With regard to the money which is placed at the disposal of the Central Government, I know the amount was not much. The amount was Rs. 54 lakhs. But I am sorry to report to the House that in spite of the fact that in the Law Ministers' Conference I had addressed all the Law Ministers of States that you please get this money out of me, but, as I said, I am sorry to say that nobody has come forward. Very few people came forward because the money which we give, we give for special projects. Now, unless these special projects are made, these projects are submitted to the Bhagwati Committee, surely we will not give the money, because, on the one hand, we want to spend money for the aid to the poor, on the other hand we do not want the money to go waste. Everybody knows that it is Government money; it is public money, and it has to be utilised for the purpose for which it is earmarked by Parliament. Now, again, Justice Mitra has been nice to point out that all these schemes are susceptible to great abuses and if we do not have proper checks, proper audits, then surely the money will go waste because my experience also has been, and there was criticism in this respect, that if Rs. 10 lakhs was spent by a particular Board. Rs. 7 lakhs is spent on administrative matters, which is much too sad. Mrs. Roda Mistry is pleading for more staff. She is pleading for more financial autonomy. I am prepared to accept it, provided the machinery which is functioning, that machinery comes to that standard where the money which is entrusted to them is utilised by them in a proper manner so that it reaches the people for whom it is meant. Otherwise to spend the whole money on staff or to spend the whole money on administrative matters, I I am afraid...

SHRI SHANKAR PRASAD MITRA: Also on tours. (*Interruptions*)

SHRI JAGANNATH KAUSHAL: That will not help anybody. May I only mention for the benefit of my hon. friend, Mrs. Mistry, that by mere legislation nothing better can flow about? Schemes are there. Schemes are working. Let the schemes work in a proper manner. I will come to Parliament for getting more and more money because we are committed to it. We have accepted this as a principle. And, now, after working for about—in fact, the whole idea is 5-6

[Shri Jagannath Kaushal]

years' old, and in 1977 the committee was formed, then in 1980 Justice Bhagwati's Committee was formed; it is hardly two or three years, and...

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Article 39 itself says...

SHRI JAGANNATH KAUSHAL: That itself was brought in 1976.

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: Mr. Dhabe, we went around together. Don't forget it.

SHRI JAGANNATH KAUSHAL: Mr. Bhardwaj has given a very illuminating speech. Justice Bhagwati Committee has been in existence for nearly three years. According to the Chairman, the legal aid system has now cut roots in the soil and it has taken off the ground. According to the Chairman's report, it has taken its root. Let it sprout. Let it come in the shape of a robust plant. We are there to help it by giving all sorts of legal aid or financial help. Otherwise, as I say, I am in agreement with the idea underlying this Resolution. As and when the situation arises, we will certainly come forward in order to make this scheme as virile and as profitable as it can be. For the moment, I do not think there is any stage for going forward with legislation. But if the States want it, they are very free. I would, therefore, request Mrs. Roda Mistry not to press for the legislation. We are as keen as hon. Member herself. Thank you.

SHRIMATI RODA MISTRY: Madam Vice-Chairman, very cleverly, while appearing to agree with all the points of the Resolution moved by me, the Minister has not answered a single one of the points that I have placed before the House. How can there be equal opportunity to seek justice if there is no freedom of movement for the Boards that are functioning so that they can produce the results that are required? The hon. Minister has gone on to praise Justice Mitra. But he has not gone on record to say anything about the spirit of the Resolution. I understand that Justice Mitra is a very learned person. He has gone through the law documents before mentioning what he has said. Whilst I have voiced the feeling of the steaming masses being one from them an unlearned person, have gone on to narrate the practical side of the scheme and not got involved on the legal aspect. Although we have all said the same thing with all the members of the House supporting the resolution, the question is how to get the good luminaries of Law to fight the battle for the poor has not been mentioned by the Minister. How can you get good lawyers on the small pittance that is allowed as fees? Here also the Government enters the fry *to say that the Boards will not pay* more than what the Government charges are. Government cases hang in the air for years. The son and the grandson die but their cases continue. Here, we want the cases to move fast for quick justice to the poor. I do not wish to take more time of the House because I know that there is another Resolution to come up, as such I regretfully withdraw this Resolution with a request to the Law Minister that as he has continuously praised the work of the States and said that States might bring forward the law, could it be asked of him if the States can bring such a Law, what is wrong with the Centre bringing a similar one. I again repeat that I regretfully withdraw hoping that better counsel will prevail with the Government as time goes on and the hon. Minister and the Government will see the wisdom behind moving this Resolution.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI MARGARET ALVA): Is it the wish of the House that the Resolution might be withdrawn?

The Resolution was by leave withdrawn.*

---

*For text of the Resolution, *vide* Debate, dated the 12th August, 1983.